पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 270/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 31.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 31.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयीः-

थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

हत्या की घटना का सफल अनावरण; हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंकने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार आलाकत्ल गमछा व 01 शीशी बरामद

पूर्व की घटना– अवगत कराना है कि दिनांक 26.08.2024 को वादी मुकदमा चन्द्रजीत प्रसाद शुक्ल पुत्र स्व. योगेन्द्र प्रसाद शुक्ल निवासी कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कप्तानगंज पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 25.08.2024 को शाम 04 बजे से वादी के भाई त्रवेणी शुक्ला घर से गायब हो गये थे। जिसकी हत्या चन्द्रकेश यादव आदि ने कर दिया है जिसका शव झाड़ी से मिला है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 269/24 धारा 103, 238 BNS बनाम चन्द्रकेश यादव आदि 02 के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष तहबरपुर उ0नि0 चन्द्रदीप कुमार द्वारा प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा हत्या की घटना का अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष तहबरपुर उ0नि0 चन्द्रदीप कुमार को निर्देशित किया। आज दिनांक 31.08.2024 को विवेचना के क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तो 1. महेश सोनकर पुत्र मिलन सोनकर निवासी ग्राम कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ 2. आदित्य यादव पुत्र राकेश यादव निवासी ग्राम हसनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ 3. सौरभ गुप्ता पुत्र चन्द्र प्रकाश गुप्ता निवासी ग्राम कप्तानगंज बाजार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को उ0नि0 चन्द्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा कादीपुर हरिकेश से समय करीब 11.40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण– गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया की जमीन के खरीद-फरोख्त में पैसों के विवाद को लेकर चन्द्रेश यादव ने त्रिवेणी शुक्ला को मरवाने के लिए महेश सोनकर, आदित्य यादव व सौरभ गुप्ता को 5 लाख रूपये की सुपारी दी थी। जिसके क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तों ने दिनांक 25.08.2024 को कप्तानगंज बाजार से त्रिवेणी शुक्ला को आटो में बैठा लिये तथा स्टेट बैंक कस्बा कप्तानगज के पास आटो से उतार कर आदित्य यादव की मोटरसाईकिल स्पेलडर पर बैठाकर ग्राम रौसड़ में कुश की झाडीयो के पास ले गये जहाँ पर मृतक त्रिवेणी शुक्ला को सल्फास/सिन्दुर व रंग का घोल पिलाने का प्रयास किये उसके बाद गमछे से गला घोट दिये, गर्दन व सीने पर पैर से मार कर हत्या कर दिये। त्रिवेणी शुक्ला की मृत्यु के पश्चात उसके शव को कुश की झाड़ीयो में छोड़कर भाग गये।

➡ अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त गमछा व 01 शीशी गोपलापुर पुलिया से बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 269/24 धारा 103/238 BNS थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

सौरभ गुप्ता

1-मु.अ.सं. 94/20 धारा 120B, 34,392,411 IPC थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
2-मु.अ.स. 230/20 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
3-मु.अ.स. 146/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
4-मु.अ.स.144/20 धारा 307 IPC थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. महेश सोनकर पुत्र मिलन सोनकर निवासी ग्राम कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
2. आदित्य यादव पुत्र राकेश यादव निवासी ग्राम हसनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
3. सौरभ गुप्ता पुत्र चन्द्र प्रकाश गुप्ता निवासी ग्राम कप्तानगंज बाजार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 गमछा, 01 शीशी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2- हे0का0 विनोद कुमार सरोज, का0 राहुल कुमार यादव, का0 राकेश कुमार, म0का0 रूपा देवी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
3-उ0नि0 अमन तिवारी, का0 प्रमोद कुमार, का0 रविन्द्र कुमार यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

जनपद - आजमगढ़